Entry

10

अंचल अधिकारी का कार्यालय, बलियापुर (धनबाद)

जमाबंदी रद्द अभिलेख वाद सं०-.....202...../2016-17

वाद का प्रकार - बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित।

23/7/16

झारखंड सरकार के ज्ञापांक-2074/रा०, दिनांक 13.05.2016 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र सं०-3-खा०म०नीति-119/85/2308/रा० दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय परिपत्र सं०-914/रा० दिनांक 09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारम्भ की गई। जाँच के क्रम में हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि -

मौजा बड़ादहा थाना नं० 182 खा० सं० 305 62 प्लॉट सं० 708 रकबा 0.66 एकड़ भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखंड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी [illegible] की पंजी-II पर जमाबंदी रैयत नीलकमल महतो, पि० श्री [illegible] महतो सा० बड़ादहा। के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध कोडकर बन्दोबस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गई है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की पंजी-II जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर [illegible] भू-खंड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें कि क्यों उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक 23/7/16 को [illegible]

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी
बलियापुर।

23/7/16

अंचल अधिकारी
बलियापुर।

नोटिस तामिला हेतु पाया। [illegible]

1/8/16

अभिलेख उपस्थापित किया गया। नोटिस तामिला के पश्चात प्राप्त हुआ है। जमाबन्दी रैयत के वंशज द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर एक दलील/ दा० ला० वाद सं० 4 वर्ष 82.83 की सच्ची प्रतिलिपि की छाया प्रति तथा लगान रसीद वर्ष 2002 तक की छाया प्रति समर्पित किया गया है। परन्तु उनके द्वारा ऐसा कोई ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जमा नहीं किया गया है, जो उनके दावे की पुष्टि करता है।

अतः ऐसी परिस्थिति में सम्बन्धित राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर उक्त जमाबन्दी को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।

अग्रेतर कार्रवाई हेतु अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धनबाद को भेजें।

ह०/-
अंचल अधिकारी
बलियापुर

वाद अभिलेख संख्या- 202 /2016 (अन्तर्गत धारा-4(h), BLR Act, 1950)

अंचल अधिकारी का कार्यालय [illegible]

सूचना

बनाम..........

[illegible] महतो, पि० [illegible] महतो,
सा० [illegible]

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा- [illegible] थाना नं०- 182 खाता नं०- 62 खेसरा नं०- 708 रकबा 0.66 [illegible] से संबंधित आपके नाम से ह० नं०- [illegible] के पंजी-II भाग .... के पृष्ठ .... पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक- 9/8/16 को समय-11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न-I, भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, फार्म M एवं सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व रसीदों निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यो की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ मे उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति मे समझा जायगा कि उक्त संबंध मे आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध मे युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए नियमसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकीद जाने।

अंचल अधिकारी
[illegible]
23/7/16

तिथि-

मुहर

स्थान-

robin C:\users\HP\Desktop\binod sir\court case.docx

Sarju Mahato
5/8/16

[illegible]
06/8/16